कार्यालय अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/ 24848 /पैरामेडि./एम.सी./2025 रीवा, दिनांक : 18/09/25

//आदेश//

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए विभिन्न स्ववित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये गये थे। नियमावली क्रमांक/23234/पैरामेडि./एम.सी./2025 रीवा, दिनांक 28.08.2025 के अंतर्गत काउंसिलिंग एवं प्रवेश हेतु समय सारणी निम्नानुसार हैः–

क्र.	दिनांक	समय	आवेदक जिसकी स्कटनी एवं प्रवेश प्रकिया सम्पादित होगी।	स्थान
1.	24.09.2025	प्रातः 10:00 बजे सायं 06:00 बजे तक	• सेवारत (Inservice) आवेदक, • दिव्यांग (PwD) आवेदक, • कॉमन मेरिट क्रमांक 01 से 100 तक	लेक्चर हॉल–3, एवं 4 प्रथम तल New Academic Wing चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
2.	25.09.2025	प्रातः 10:00 बजे सायं 06:00 बजे तक	कॉमन मेरिट क्रमांक 101 से 250 तक	
3.	26.09.2025	प्रातः 10:00 बजे सायं 06:00 बजे तक	कॉमन मेरिट क्रमांक 251 से अंतिम तक	

नोटः–

1. समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्तानुसार निर्धारित क्रमानुसार स्कूटनी एवं काउंसिलिंग की प्रकिया सम्पन्न की जावेगी अतः समस्त आवेदक निर्धारित तिथि को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें
2. आवेदक को काउंसिलिंग के दिन पाठ्यक्रम आवंटन के समय ही समस्त शैक्षिणक शुल्क (सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम)/प्रथम वर्ष का शैक्षणिक शुल्क (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) एवं सुरक्षा निधि जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को अगली मेरिट वाले छात्र/छात्रा को आवंटित कर दिया जायेगा, तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. आवेदक को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यदि आप निर्धारित समय व दिनांक पर उपस्थित नहीं होते है तो अन्य दिनांक पर आपकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की जावेगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा। निर्धारित दिवस में स्कूटनी एवं पाठ्यक्रम आवंटन हेतु आपका नाम तीन बार बुलाने के बाद भी अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपको अंतिम रूप से अनुपस्थित घोषित किया जायेगा, तथा काउंसिलिंग प्रकिया आगे बढा दी जायेगी तथा आपकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

क्रमशः पेज–02

4. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदनकर्ताओं की समस्त मेरिट लिस्ट समाप्त होने के बाद भी कोई सीट आवंटन हेतु रिक्त रह गई हो तो उसी स्थिति में अन्य राज्य के उम्मीदवारों को उनकी मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की जावेगी।
5. स्कूटनी/दस्तावेज सत्यापन दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर स्कूटनी एवं काउंसिलिंग प्रकिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अभ्यर्थी की होगी।

दस्तावेजों की सूचीः–

(a) 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)
(b) 12वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)
(c) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
(d) माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
(e) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
(f) अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
(g) ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
(h) दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
(i) विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
(j) 05 पासपोर्ट साइज फोटो।

अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग